न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/650/2004/झूंझुनू

1– नर्बदा बेवा बुद्धराम
2– बाबूलाल उर्फ धनराज पुत्र बुद्धराम
3– राहिताश पुत्र बुद्धराम
4– संजय पुत्र बुद्धराम
5– विकास पुत्र बुद्धराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी अगवाना खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झूंझुनू।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– मामराज पुत्र हरचंद
2– मातुराम पुत्र हरचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–
2/1. सत्यवीर पुत्र स्व0 मातुराम
2/2. अनील पुत्र स्व0 मातुराम
2/3. सुनील पुत्र स्व0 मातुराम
2/4. राजबाला पत्नी स्व0 मातुराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण माकडा तहसील खेतड़ी जिला झूंझुनू।
3– सरस्वती उर्फ सुरस्वती पत्नी मंगलाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
3/1. हनुमान शर्मा पुत्र स्व0 सरस्वती
3/2. सत्यवीर शर्मा पुत्र स्व0 सरस्वती
3/3. सुन्दर पुत्र स्व0 सरस्वती
3/4. भीम पुत्र स्व0 सरस्वती
3/5. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 सरस्वती
3/6. सोनी पुत्री स्व0 सरस्वती
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण माजराकला तहसील महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा।
4– हेमराज पुत्र डूंगाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
4/1. ताराचन्द पुत्र स्व0 हेमराज
4/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 हेमराज
4/3. गजानन्द पुत्र स्व0 हेमराज
4/4. निरंजन पुत्र स्व0 हेमराज
4/5. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हेमराज
4/6. लिछमा पुत्री स्व0 हेमराज
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण अगवाना खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झूंझुनू।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री किशोर कुमार, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषकगण अपीलार्थी संख्या 1, 3 व 5
श्री हगामीलाल, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3

दिनांकः– 12–2–2026

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झूंझुनू द्वारा अपील संख्या 77/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–01–2004 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06–02–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण के पिता/पति बुद्धराम व प्रत्यर्थी संख्या 1 मामराज व प्रत्यर्थी संख्या 2 मातुराम के मामा हरचंद पुत्र लेखुराम ब्राह्मण निवासी अगवाना खुर्द तहसील चिड़ावा की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335 रकबा 3.40 हैक्टेयर ग्राम अगवाना में अवस्थित है। खातेदार हरचंद वादी व प्रतिवादीगण का मामा था जो नाऔलाद फौत हुआ तथा उसकी औरत का स्वर्गवास जवान अवस्था में हो गया था, इसलिए वादी की माता मु0 म्हादी व पिता हरचंद अगवाना खुर्द में उसके पास रहकर उसकी खातेदारी भूमि काश्त करते थे। खातेदार हरचंद पुत्र लेखुराम के अन्य कोई वारिस नहीं होने से उसकी कानूनी वारिस उसकी बहन म्हादी ही थी, जिसके वारिसान वादी मामराज, प्रतिवादी संख्या 1 बुद्धराम व प्रतिवादी संख्या 2 मातुराम हैं। खातेदार हरचंद के जीवनकाल से ही पक्षकारान इन भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों ने पक्षकारान के पिता व मामा दोनों का नाम हरचंद होने से सहवन से खातेदार हरचंद

पुत्र लेखुराम की विरासत का नामान्तकरण म्हादी व उसके पति हरचंद के बड़े पुत्र बुद्धराम के नाम दर्ज कर दिया। वादी को इस नामान्तकरण की जानकारी नहीं थी। विधिनुसार वादी व प्रतिवादीगण विवादित भूमि में बराबर हिस्से के अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे। दावे में प्रत्यर्थी संख्या 3 प्रार्थीया सरस्वती पुत्री हरचन्द बेवा मंगलाराम के पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे भी दावे में वादी संख्या 2 संयोजत किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिस पर बुद्धराम के वारिसान अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम कर बाद साक्ष्य सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02–08–2002 द्वारा वादी का वाद साबित नहीं पाए जाने पर खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02–8–2002 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झून्झुनू न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–1–2004 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दोनों वादीगण (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3) तथा अपीलार्थीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये बुद्धराम द्वारा पूर्व में 0.55 हैक्टर भूमि प्रत्यर्थी संख्या 4 हेमराज को विक्रय कर देने से इतनी भूमि के लिए हेमराज को खातेदार घोषित किया जाकर यह भूमि अपीलार्थीगण के हिस्से से कम करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री पश्चात अपीलीय न्यायालय ने धारा 152 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 06–2–2004 द्वारा पूर्व निर्णय में संशोधन कर प्रत्यर्थी संख्या 2 मातुराम को भी विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि ग्राम अगवाना खुर्द तहसील चिड़ावा में स्थित वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 233 व 239 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा जिसके नए खसरा नम्बर 334 व 335 रकबा 4.74 हैक्टेयर बनाए गए, का काबिज खातेदार काश्तकार हरचन्द पुत्र श्री लेखुराम ब्राह्मण था जिनके कोई जायन्दा औलाद नहीं होने के कारण उसने अपनी

चचेरी बहिन म्हादी के पुत्र बुद्धराम (अपीलार्थीगण के पिता/पति) को सम्वत् 2000 में हिन्दू रीति रिवाज से दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। तब से ही बुद्धराम दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने दत्तक पिता हरचंद पुत्र लेखुराम के साथ ही ग्राम अगवाना खुर्द में रहा एवं उसकी शादी ब्याह भी उसके दत्तक पिता हरचन्द पुत्र लेखुराम ने ही सम्पन्न करवाई। तदुपरांत खातेदार हरचन्द पुत्र लेखुराम का वर्ष 1965 में देहान्त होने पर बुद्धराम ने ही दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके क्रियाक्रम सम्पन्न करवाए तथा पगड़ी भी बुद्धराम के बांधी गई। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को मौखिक साक्ष्यों ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि का एकमात्र कानूनी वारिस एवं काबिज खातेदार काश्तकार बुद्धराम दत्तक पुत्र हरचंद ही था एवं उसकी मृत्यु उपरांत अपीलार्थीगण भूमि पर काबिज हैं। मूल खातेदार हरचंद की मृत्यु वर्ष 1965 में होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि के विरासतन खातेदारी का इंतकाल संख्या 59 दिनांक 14–6–1966 को बुद्धराम पुत्र हरचंद के पक्ष में स्वीकृत किया गया एवं उसके बाद बुद्धराम की मृत्यु वर्ष 1995 में होने पर विरासतन खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 02–8–1995 को अपीलार्थीगण नर्बदा आदि के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वादी मामराज ने 30 वर्षों पश्चात वादपत्र प्रस्तुत कर उक्त खातेदारी इन्द्राज को चुनौती दी है जबकि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों से बुद्धराम व उसके पश्चात अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। नामान्तकरण संख्या 59 गोदपुत्र के आधार पर ही खोला गया है। वादी मामराज व सरस्वती तथा प्रतिवादी मातुराम का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार से संबंध सरोकार नहीं रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी संख्या 1 मामराज ने वादकारण दिनांक 21–03–1995 को उत्पन्न होना माना है एवं वादी संख्या 2 सरस्वती ने वादकारण दिनांक 19–08–2000 को उत्पन्न होना माना है। वाद कारण भिन्न–भिन्न होने के कारण उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत वादपत्र कानूनन संधारण योग्य नहीं था। अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 पर वादी एवं प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा के 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं तनकी संख्या 2 में 1/4 हिस्से का खातेदार होना घोषित कर दिया। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने विरोधाभासी विवेचन कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी मामराज ने स्वयं ने अपने वादपत्र में स्पष्ट स्वीकार किया है कि बुद्धराम ने खसरा नम्बर 334 रकबा 1.34 हैक्टेयर में से 0.55 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 हेमराज को बेचान कर

दिया है जिसका मौके पर कब्जा काश्त है। इस बेचान की वादी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है इस प्रकार वादी का आराजी मुतनाजा पर किसी भी भू–भाग के मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अपीलीय न्यायालय को हरचन्द पुत्र लेखुराम का दत्तक पुत्र बुद्धराम है या नहीं, इस कानूनी बिन्दु पर निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने बुद्धराम को हरचंद पुत्र लेखुराम का दत्तक पुत्र नहीं होने बाबत विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उचित रूप से अस्वीकार किया गया था, परंतु अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौके दिये स्वीकार कर संशोधित आदेश व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की गई है। साथ ही अपील विचारण में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आवेदन पर बिना निर्णय किये व रिबटल का मौका दिये बिना प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने निर्णय विवेचन में शामिल कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र में विक्रेता बुद्धराम के उल्लेखित पिता नौलाराम कौन है, इस बाबत अस्पष्ट स्थिति होने से उक्त दस्तावेज स्वीकारयोग्य नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 334, 335 कुल किता 2 रकबा 4.74 हैक्टेयर का मूल खातेदार हरचंद पुत्र लेखुराम था, जो बुद्धराम व प्रत्यर्थी संख्या संख्या 1 ता 3 के मामा हैं। हरचंद ना–औलाद फौत होने से उनकी बहन म्हादी उसकी विधिक वारिस होकर विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त था। म्हादी के तीन पुत्र एवं एक पुत्री हैं। हरचंद के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने पक्षकारान के पिता व मामा दोनों का नाम हरचंद होने से सहवन से खातेदार हरचंद की विरासत का नामान्तकरण म्हादी के पति हरचंद के बड़े पुत्र बुद्धराम के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण म्हादी के एक पुत्र बुद्धराम को हरचंद के गोद जाना बताते हैं जबकि उनके द्वारा प्रकरण में गोद जाने बाबत कोई साक्ष्य तथा गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। वादी मामराज ने अपने मौखिक साक्ष्य में बुद्धराम का हरचंद के गोद जाने को स्पष्टतः अस्वीकार किया है। नामान्तकरण में आधार गोदपुत्र नहीं बल्कि बुद्धराम को पुत्र

होना बताया है, इसलिए यह निरस्तनीय है। तत्समय म्हादी के अन्य दो पुत्र मामराज व मातुराम नाबालिग होने से नामान्तकरण में उनका नाम नहीं दर्ज किया गया। अपीलीय न्यायालय में ग्राम माकड़ों की भूमि बाबत प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–1–1979 से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि में बुद्धराम व म्हादी द्वारा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया था जिसमें बुद्धराम की वल्दियत नौलाराम दर्ज है। म्हादी के पति तथा पक्षकारों के पिता हरचन्द को ही माकड़ों गांव में नौलाराम कहा जाता था। बुद्धराम को अपने प्राकृतिक पिता हरचंद से माकड़ों में भूमि प्राप्त होने से उसका विवादित भूमि अगवाना खुर्द हेतु अपने मामा हरचन्द पुत्र लेखु का गोद पुत्र होने के आधार पर स्वामित्व मिलने का क्लेम खारिज योग्य है। निर्वाचन नामावली में भी बुद्धराम व उसके भाईयों के पिता का नाम हरचन्द दर्ज है। अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई आपत्ति नहीं की और न ही रिबीटल में कुछ प्रस्तुत किया। न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि उनके अधिवक्ता को इस हेतु अवसर भी दिये गये थे। न्यायालय ने उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पत्रावली को प्रार्थना पत्र तथा अपील दोनों पर अंतिम बहस में लिया था। इस प्रकार अपील के निर्णय में प्रस्तुत दस्तावेजों को भी विवेचित करना उचित एवं विधिसम्मत है, जिस पर द्वितीय अपील स्टेज पर आपत्ति मेनटेनेबल नहीं है। प्रकरण में बुद्धराम का हरचंद पुत्र लेखुराम के गोद जाना कतई साबित नहीं है। प्रतिवादीगण के जवाब दावा तथा मौखिक साक्ष्यों में स्पष्ट भिन्नता है जिसमें गोद पुत्र व भूमि पर उनके स्वामित्व व कब्जे के तथ्य बलहीन हो जाते हैं। विवादित भूमि पक्षकारों की सह काश्तकारी की भूमि है जिस पर सभी का कब्जा काश्त स्वामित्व है। विचारण न्यायालय द्वारा गोदपुत्र व कब्जा काश्त बिंदुओं पर त्रुटिपूर्ण विवेचन के साथ वाद को गलत खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। प्रत्यर्थीगण का हरचंद पुत्र लेखुराम व उसकी बहन की भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर स्पष्ट व विधिसम्मत अधिकार बनता है। दावे में प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई पुष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी न्यायालय ने दावे को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार, विधिक या

तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया।

7— प्रकरण में वादपत्र, संशोधित वादपत्र तथा जवाबदावा अनुसार वादीगण मामराज व सरस्वती, प्रतिवादी बुद्धराम व मातुराम म्हादी एवं हरचंद पुत्र धूड़ाराम के पुत्रगण एवं पुत्री हैं। बुद्धराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 सं 1/5 हैं, जो कि हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण हैं। विवादित भूमि वाके ग्राम अगवाना खुर्द साबिक खसरा नम्बर 233 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तथा 239 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा होकर हरचंद पुत्र लेखुराम की खातेदारी में दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 14—6—1966 द्वारा यह हरचंद के बाद बुद्धराम के नाम दर्ज हुई। बुद्धराम की मृत्यु उपरांत यह भूमि हाल नम्बर 334/1 व 335 कुल रकबा 4.19 हैक्टर होकर बुद्धराम के वारिसान अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई। बुद्धराम द्वारा विवादित भूमि में से 0.55 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 हेमराज (जो कि अपील में प्रत्यर्थी संख्या 4 है) को विक्रय कर दी गई जिस भूमि हेतु पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। म्हादी हरचंद पुत्र लेखुराम की बहन थी जो कि ग्राम माकड़ों निवासी हरचंद पुत्र धूड़ाराम को ब्याही थी। मामराज व सरस्वती द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित भूमि हरचंद पुत्र लेखुराम के पश्चात गलत रूप से बुद्धराम के नाम दर्ज होना क्लेम कर इस पर म्हादी के सभी वारिसान का बराबर हिस्सा घोषित करवाने की रिलीफ चाही गई थी जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02—8—2002 द्वारा खारिज कर दी गई। दोनों वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने उनका पक्ष स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30—1—2004 द्वारा बुद्धराम की हेमराज को बेची गई भूमि को उसके हिस्से से कम करते हुए शेष भूमि के लिए वादीगण व बुद्धराम के वारिसान को प्रत्येक हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया गया। निर्णय उपरांत आदेश में एक पक्षकार मातुराम पुत्र हरचंद के हिस्से की घोषणा निर्णय में रह जाने पर प्रस्तुत धारा 152 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 06—2—2004 द्वारा पूर्व निर्णय में संशोधित कर मातुराम को भी 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया गया।

8— प्रकरण में वादीगण तथा प्रतिवादी बुद्धराम के वारिसान के मध्य मुख्य प्रश्न बिंदु हरचंद पुत्र लेखुराम की भूमि पर अधिकार के आधार बाबत होना परिलक्षित होता है। वादीगण का पक्ष है कि हरचंद पुत्र लेखुराम नाऔलाद फौत हुआ था तथा उसकी मृत्यु उपरांत भूमि का स्वामित्व विधिवत रूप से उसकी बहन म्हादी पत्नी हरचंद (पुत्र धूड़ाराम) में निहित हुआ तथा म्हादी की मृत्यु उपरांत उसके पुत्रगण मामराज, बुद्धराम व मातुराम तथा पुत्री सरस्वती सभी विवादित भूमि में बराबर हिस्से के अधिकारी बनते हैं। हरचंद के कोई पुत्र नहीं होने से म्हादी अपने परिवार सहित अपने भाई के साथ ग्राम अगवाना खुर्द में रही व उसकी मृत्यु होने पर उसके सभी वारिसान का भूमि पर स्वामित्व व कब्जा काश्त है। दूसरी और म्हादी के एक पुत्र बुद्धराम तथा उसके वारिसान का पक्ष है कि उसके मामा हरचंद पुत्र लेखुराम के कोई औलाद नहीं होने से उसने सम्वत् 2000 में बुद्धराम को गोद लिया तथा बुद्धराम ने ही दत्तक पुत्र के रूप में सारे पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व पुरे किये गये। वर्ष 1966 में हरचंद की मृत्यु उपरांत बुद्धराम के पक्ष में नामान्तकरण सही दर्ज हुआ तथा विवादित भूमि पर म्हादी के अन्य पुत्रों एवं पुत्री का कोई हिस्सा न होकर बुद्धराम का ही हमेशा से स्वामित्व व कब्जा काश्त रहा है। दावे में तनकी संख्या 1 व 3 वादीगण के पक्ष तथा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी बुद्धराम के वारिसान के पक्ष से सम्बन्धित है तथा मुख्यतः इन्हीं विवाद्यकों पर विवेचन से प्रकरण में पक्षकारों के भूमि पर विधिसम्मत स्वामित्व का निर्धारण तय होना है।

9— दावे में दोनों पक्षों की प्लीडिंग्स एवं साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बुद्धराम के वारिसान का आधार हरचंद पुत्र लेखुराम द्वारा बुद्धराम को सम्वत 2000 में गोद लिया जाना है। दावे में बुद्धराम का गोदपुत्र होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उसका हरचंद का गोदपुत्र होने के बिन्दु पर दोनों प्रतिवादी पक्ष मौखिक साक्ष्यों नर्बदा पत्नि बुद्धराम व खेताराम के बयानों के परीक्षण अनुसार नर्बदा ने जिरह में बुद्धराम के प्राकृतिक माता—पिता बाबत अनभिज्ञता जाहिर की है। वह कहती है कि म्हादी कौन थी उसे नहीं पता। उसके अनुसार उसे यह भी नहीं पता कि हरचंद ने बुद्धराम को किससे गोद लिया था। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसके सगे ससुर कौन हैं। प्रतिवादी नर्बदा के उपरोक्तानुसार बयान उसके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे से पूर्णतः भिन्न हैं क्योंकि जवाबदावे में बुद्धराम का हरचंद की बहन म्हादी का पुत्र होना बताया गया है। जवाबदावे में स्पष्ट उल्लेख है कि म्हादी के पति का नाम

धूड़ाराम था तथा वह अपने अन्य पुत्रों व पुत्री के साथ ग्राम माकड़ों में रही तथा बीच बीच में अपने जायन्दा पुत्र बुद्धराम से मिलने ग्राम अगवाना खुर्द भी आती रही। इस प्रकार प्रतिवादी नर्बदा के मौखिक साक्ष्य उसके स्वयं के जवाबदावे से पूर्णतया भिन्न व विरोधाभाषी होने के कारण गोदपुत्र बिन्दु पर उसकी साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। उसके मौखिक साक्ष्यों में बुद्धराम की उसकी जायंदा माता म्हादी तथा भाइयों के परिवार से पूर्ण असम्बद्दता प्रदर्शित करना परिलक्षित होता है जो अपीलार्थीगण के जवाब दावे तथा प्रकरण में उनके मुख्य आधार पक्ष पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिवादी पक्ष के अन्य मौखिक साक्ष्य खेताराम का भी बयानों में पक्ष है कि हरचंद बुद्धराम को कहां से गोद लाया उसे नहीं पता, वह हरंचद की बहन को नहीं जानता, बुद्धराम हरचंद की बहन का बेटा है या नहीं उसे नहीं पता आदि। नर्बदा का जिरह में कहना है कि गोद आने की लिखावट है लेकिन इसे उसने दावे में पेश नहीं की है। खेताराम भी किसी लिखावट होने बाबत पुष्ठ व बलयुक्त तथ्य नहीं बताता है। नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 14–6–1966 में बुद्धराम को हरचंद का गोदपुत्र न बताकर पुत्र बताया गया है जबकि बुद्धराम वस्तुतः ग्राम माकड़ो निवासी हरचंद पुत्र धूड़ाराम का पुत्र था। इस क्रम में प्रथम अपील में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दस्तावेज दिनांक 16–1–1979 तथा ग्राम अगवाना खुर्द की निर्वाचन नामावली वर्ष 1980 व 1993 उल्लेखनीय है। विक्रय पत्र ग्राम माकड़ों के खसरा नम्बर 222 बाबत बेचान दस्तावेज होकर इसमें म्हादी विधवा नौलाराम व बुद्धराम पुत्र नौलाराम द्वारा भूमि विक्रय किया गया है तथा इस दस्तावेज में नौलाराम के 2 और पुत्र मातुराम व मामराज भी होकर उन्हें तत्समय नाबालिग होना बताया गया है। मामराज द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी तथा इसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उनके पिता हरचंद को ही ग्राम माकड़ों में नौलाराम कहा जाना जाहिर किया गया है तथा प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता भी बहस में हरचंद पुत्र धूड़ाराम को नौलाराम भी कहा जाना स्वीकार करते हैं, इसलिए अपीलार्थीगण अधिवक्ता की इस दस्तावेज में पिता का नाम नौलाराम लिखा होने से इसका स्वीकारयोग्य न होने की आपत्ति चलने योग्य नहीं है। दोनों निर्वाचन नामावलियों में बुद्धराम व उसके दोनों भाईयों के पिता का नाम हरचंद होना तथा उनका ग्राम अगवाना खुर्द में रहने की भी ताइद होती है। विक्रय पत्र दस्तावेज से प्रतिवादी पक्ष का जवाबदावे में यह पक्ष बलहीन होता है कि बुद्धराम का हरचंद पुत्र लेखुराम के गोद आने उपरांत उसका अपने प्राकृतिक पिता की

ग्राम माकड़ों की भूमि में कोई सरोकार नहीं रहा। साथ ही अगर बुद्धराम सन् 1966 में हरचंद के दत्तक पुत्र के रूप में ग्राम अगवाना खुर्द की भूमि का स्वामित्व ले चुका था तो सन् 1979 में उसे ग्राम माकड़ों स्थित अपने पिता की भूमि के विक्रय का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर वादी मामराज अपने साक्ष्य में बुद्धराम का हरचंद के गोद जाने को स्पष्ट अस्वीकार करता है। उक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि बुद्धराम का विवादित भूमि में हरचंद पुत्र लेखुराम का गोदपुत्र होने के आधार पर स्वामित्व का पक्ष अपुष्ट एवं साक्ष्यहीन है तथा हरचंद की मृत्यु पर बुद्धराम के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण का कोई विधिसम्मत आधार नहीं था। इस क्रम में वादी का यह पक्ष भी स्वीकारोचित है कि वक्त नामान्तकरण स्वीकृति मामराज व मातुराम नाबालिग थे जिससे यह मात्र बुद्धराम के नाम ही खोला गया।

10— वादीगण मामराज आदि का भूमि पर आधार म्हादी का हरचंद पुत्र लेखुराम की बहन होना तथा हरचंद तथा म्हादी की मृत्यु उपरांत भूमि पर म्हादी के सभी विधिक वारिसान का हक अधिकार बनना है। बुद्धराम के पक्ष के बजाय वादीगण का पक्ष उत्तराधिकार व विरासत पर आधारित होकर विधिसम्मत एवं न्यायसम्मत है। भूमि मूलतः हरचंद पुत्र लेखुराम की थी इसलिए पक्षकारों का म्हादी के वारिस होकर सभी का उत्तराधिकार मुताबिक हक अधिकार बनता है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र स्वीकृत नामान्तकरण के आधार पर ही टाईटल व कब्जे बाबत बुद्धराम के पक्ष में निष्कर्षण ले लिया गया जो कि उचित नहीं था। उनके द्वारा न तो बुद्धराम के भूमि पर विधिवत आधार का परीक्षण किया गया और न ही यह देखा गया कि क्या साक्ष्यों से उसका गोदपुत्र होने का आधार प्रमाणित होता है अथवा नहीं। पक्षकारान म्हादी के उत्तराधिकारी होकर पैतृक भूमि में कब्जे बाबत उनका विवेचन त्रुटिपूर्ण है। दूसरी ओर अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों व तथ्यों की विधि के आलोक में स्पष्ट विवेचना करते हुए मामराज आदि का पक्ष उचित एवं विधिसम्मत होना माना है। अतः हम विवेचित विवाद्यकों पर अपीलीय न्यायालय के विवेचन व निश्कर्षण से सहमति रखते हैं।

11— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में मामराज द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सम्मुख पक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस पर जवाब बहस हेतु अवसर लिये गये थे, जिसके उपरांत न्यायालय ने पत्रावली को इस प्रार्थना पत्र व अपील पर अंतिम बहस में नियत किया था। पर्याप्त अवसर प्रदान करने उपरांत दिनांक 27—1—2004 को दोनों

पक्षों की बहस सुनी जाकर अपील पत्रावली में दिनांक 30–1–2004 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण अधिवक्ता के पास प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के रिबटल हेतु पर्याप्त अवसर थे तथा पत्रावली दोनों अधिवक्तागणों की उपस्थिति में ही प्रार्थना पत्र व अपील पर बहस में नियत की गई थी। मातहत न्यायालय में अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों की ग्राहयता पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतिलिपियां ही हैं। अतः द्वितीय अपील की स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की आपत्ति चलने योग्य नहीं होकर हमारा मानना है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को निर्णय में विवेचित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार अपीलार्थी पक्ष की धारा 152 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय को संशोधित करने पर आपत्ति भी बलहीन है क्योंकि निर्णय दिनांक 30–1–2004 के विवेचन में मातुराम सहित म्हादी के सभी वारिसों का विवादित भूमि में बराबर हिस्सा होना माना गया है। मातुराम भी मामराज, बुद्धराम व सरस्वती का भाई होकर दावे व अपील में पक्षकार है इसलिए निर्णय के ऑपरेटिव भाग में मातुराम का हिस्सा घोषित होने से रह जाना सहवन से रही त्रुटि थी जिस पर अपीलीय न्यायालय ने धारा 152 के तहत निर्णय को संशोधित कर मातुराम का भी 1/4 हिस्सा घोषित किया है। समस्त विश्लेषण अनुसार हमारा सुविचारित मत है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है।

12– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय सीकर कैम्प झूंझुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–1–2004 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–2–2004 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(किशोर कुमार)
सदस्य